

तकनीकी शिक्षा विभाग

कार्यालय, राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति, जयपुर।

क्रमांक. टी.ई./एफ.सी./2020-21/3625

दिनांक: 19 फरवरी 2021

— आदेश —

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'इस्लामिक एकेडमी ऑफ ऐजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य' में दिये गए निर्णय दिनांक 14.08.2003 के अनुसरण में गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-21 से प्रारम्भ होने वाले नये संस्थान/कॉलेज तथा विद्यमान संस्थान द्वारा सत्र 2021-22 में नया कोर्स प्रारम्भ करने वाले कोर्सेज तथा सत्र-2021-22 में कार्यरत (Functional) पॉलिटेक्निक कॉलेजों के सम्बन्ध में वर्ष 2021-22 के लिए अंतरिम शुल्क निर्धारण किया जाना है।

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए समिति ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक संस्थान स्वयं उक्त सत्र के लिये प्रत्येक कोर्स के लिए रजिस्ट्रार-नाइज अंतरिम फीस का निर्धारण करे, परन्तु उक्त कुल अंतरिम फीस की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है। संस्थानों द्वारा निर्धारित उक्त अंतरिम फीस उनके अकाउण्ट्स पर आधारित व आसंगत होनी चाहिये।

Sr. No.	Name of Course	Maximum ceiling of Tuition Fees per annum	Maximum ceiling of development fees per annum	Caution money refundable
1	ME/M.Tech. / B.E./B.Tech. / B. Design / BMHCT	67,000/-	15 % of tuition fees	7,500/-
2	Dual Degree Programme in Management – 5 years	67,000/-	15 % of tuition fees	7,500/-
3	Integrated course (B.Tech. + MBA) – 5½ years	67,000/-	15 % of tuition fees	7,500/-
4	MBA/MCA	52,700/-	15 % of tuition fees	7,500/-
5	Diploma Engineering / Diploma Non-Engineering	*27,000/-	15 % of tuition fees	7,500/-

Note: * The above mentioned ceiling of Interim fees will be applicable to all institutions / colleges running Diploma Engineering/ Diploma Non-Engineering courses also during 2021-22.

विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में सत्र 2021-22 के दौरान उपरोक्त प्रकार के गैर अनुदानित शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए अंतरिम शुल्क संरचना इस शर्त के साथ लागू की जाती है कि समिति द्वारा इन पाठ्यक्रमों के लिये अंतिम रूप से निर्धारित की जाने वाली शुल्क संरचना यदि अधिक होती है तो संबंधित छात्र/छात्राओं द्वारा शेष राशि प्रवेश पाने वाले संस्थान में जमा करना ही जायेगी तथा शुल्क राशि में कमी होने की दशा में संबंधित संस्थान द्वारा शेष आविषय राशि छात्र/छात्राओं को वापस लौटायी जाएगी।

उक्त अंतरिम शुल्क संरचना सत्र 2021-22 में प्रारम्भ होने वाले नवीन संस्थानों व विद्यमान संस्थान द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले नवीन कोर्सेज तथा सत्र 2021-22 के दौरान कार्यरत (Functional) पॉलिटेक्निक कॉलेजों पर लागू होगी।

संस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालय विकास शुल्क विद्यार्थियों से संस्थानों द्वारा अलग से वसूल किया जायेगा जो कि संस्थानों द्वारा प्रवेश सूची के अनुमोदन के साथ ही जमा करना अनिवार्य होगा।

कौशल मनी केवल प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से ही प्राप्त की जाएगी तथा पाठ्यक्रम सम्पत्ती के पश्चात् नियमानुसार संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों को लौटा दी जावेगी।

उक्त अंतरिम शुल्क संरचना वार्षिक है, तथा संस्थानों द्वारा निम्नानुसार उल्लेखित शर्तों के अनुसार ली जावेगी।

- Conditions :-

The above interim fee shall be charged subject to the following conditions :

1. The above fee structure shall be applicable for the first year students admitted in academic session 2021-22.
2. The fee shall be collected semester wise and not for the entire year.
3. The institution are directed not to charge fee in excess of the above mentioned fee and any such violation of the directions shall be viewed seriously.
4. Other charges like Transportation/Hostel & Mess charges shall be chargeable on actual basis i.e. without any profit & loss, the charges / caution money etc. shall have to be published on institutional website and also be informed to the committee.
5. Every penny collected from the students, whatsoever in any form, shall be accounted for, the head-wise accounts shall separately be maintained and included in college/institution accounts. No diversion of fund from the institution shall be made to society/trust or even to any other institution under the same institution.
6. The Society/Trust expenditure shall not be claimed in the institution. The accounts of institution shall be separate from the accounts of Society/Trust.
7. Faculty shall be recruited as per AICTE Norms and salary and DA is to be paid accordingly.
8. The development & depreciation amount is to be deposited in a separate account "Depreciation Reserve Fund"
9. If at the same time of inspection /Scrutiny of accounts, It is found that the above conditions are not followed or false accounts have been prepared, suitable actions will be taken.

(रजि शर्मा)
सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति, जयपुर।

क्रमांक टी.ई./एफ.सी./2020-21/

दिनांक 19 फरवरी 2021

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति, तकनीकी शिक्षा भवन, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. रजिस्ट्रार, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. निदेशक, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, जोधपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

(रजि शर्मा)
सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति, जयपुर।